



सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

मामले का विवरण:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो _____ से प्रभावी है। इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीज़न") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि \$ _____ थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि \$ _____ थी।

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णय के लिए भेजा गया। डॉकेट संख्या _____ के तहत _____ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार N.C. Gen.Stat. §96-14() के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है)। (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या _____ के तहत सुनवाई हुई। अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: _____। अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14(c) के तहत _____ तारीख को निर्णय जारी किया जिसमें उसने पाया कि लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य (नहीं) है। **(दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है।**

तथ्यों की खोज:

1. दावेदार ने _____ से _____ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है। दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, और N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है।



किया| उसने _____ तारीख को अंतिम बार नियोक्ता के लिए काम किया।
2. दावेदार ने नियोक्ता के लिए _____ तारीख से _____ के रूप में काम करना शुरू

कानून का ज्ञापन:

North Carolina का रोजगार सुरक्षा कानून यह कहता है कि:

(a) कोई भी व्यक्ति शेष लाभों के लिए अयोग्य हो जाता है, यदि डिवीजन को निम्न का पता लगता है:

- (1) व्यक्ति साधारणतया स्व-नियोजित है और जरूर स्व-रोजगार में वापस लौट सकता है।
- (2) वह व्यक्ति या उसका पति/ उसकी पत्नी बेरोजगार है क्योंकि व्यक्ति के स्वामित्व का नियोक्ता का हिस्सा स्वेच्छा से बेचा गया था और बिक्री के समय, निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक लागू हुआ था:
 - a. नियोक्ता एक कॉरपोरेशन था और इस कॉरपोरेशन में व्यक्ति के वोटिंग स्टॉक के 5% या अधिक बकाया शेयर थे।
 - b. नियोक्ता एक साझेदार था, सीमित या सामान्य, और व्यक्ति सीमित या सामान्य साझेदार था।
 - c. नियोक्ता एक सीमित देयता कंपनी था और व्यक्ति सदस्य था।
 - d. नियोक्ता एक प्रोप्राइअटरशिप था, और व्यक्ति मालिक था।

(b) यह उपधारा किसी व्यक्ति और उस व्यक्ति के पति या पत्नी पर लागू होती है जो एक कॉरपोरेशन के लिए की गई सेवाओं के आधार पर बेरोजगार है, जिसमें व्यक्ति के पास कॉरपोरेशन के वोटिंग स्टॉक के पांच प्रतिशत (5%) या अधिक बकाया शेयरों का हिस्सा है। अधिकतम हफ्तों की संख्या जिसके लिए व्यक्ति या व्यक्ति के पति या पत्नी को लाभ प्राप्त होते हैं, वह छह हफ्तों से कम या G.S. 96-14.4 के तहत निर्धारित लागू हफ्तों तक सीमित है।

N.C. Gen.Stat. §96-14.12(a) and (b).

कानून के निष्कर्ष:

वर्तमान मामले में, सुनवाई में पेश किए गए सक्षम और विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों से किसी भी तरह के प्रतिवादित साक्ष्य का समाधान किया गया है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने योग्य और विश्वसनीय सबूतों और तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि दावेदार को रोजगार से हटाया गया था। हस्ताक्षरकर्ता ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि



पूर्ववर्ती के आधार पर, अपील रेफरी के निर्णय में (पुष्टि/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए। इसके अलावा, दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाना चाहिए (बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने के लिए अपात्र ठहराया जाना चाहिए, जो शुरू होंगे _____ से और तब तक जारी रहेंगे जब तक वह रोजगार सुरक्षा कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो जाता/ जाती।)

निर्णय:

अपील रेफरी के निर्णय की (पुष्टि) (बदलाव) (संशोधन) हुआ है।

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

चार में से पृष्ठ तीन

_____ से शुरू होनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त करने के लिए दावेदार **अपात्र है।** (अपात्र नहीं है और _____ से शुरू होनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करेगा।)

बोर्ड ऑफ रिज्यू के सदस्य Susan Doer John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निर्णय से सहमत हैं।

यह है

बोर्ड ऑफ रिज्यू

चेयरमैन

नोट: यह उच्च प्राधिकरण का निर्णय मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक न्यायिक समीक्षा की याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर ना की गई हो। मेल भेजने की तारीख इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर मिलेगी। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय को अपील करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य के सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा विभाग की www.des.nc.gov वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स सेक्शन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार

इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय स्थान है। यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को वेक काउंटी, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए या North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था।



उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए।

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते।

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)§2 में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो। वकील के निरीक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए।**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।



जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है। यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा। यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा। कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना। आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: